

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

करण संख्या : 26 / 2022 (2022 / 66)

दर्ज दिनांक 02.03.2022

पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. करणसिंह आत्मज गुलाबसिंह राजपूत
 2. खुमाणसिंह आत्मज गुलाबसिंह राजपूत
 3. जवानसिंह आत्मज गुलाबसिंह राजपूत
 4. तख्तसिंह आत्मज गुलाबसिंह राजपूत
 5. नारायणसिंह आत्मज हरिसिंह राजपूत
 6. नवदीपसिंह आत्मज हरिसिंह राजपूत
 7. शक्तिसिंह आत्मज हरिसिंह राजपूत
 8. शोभाकंवर पत्नि हरिसिंह राजपूत
- सर्व निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मूलसिंह आत्मज नाहरसिंह राजपूत
 2. हमतुसिंह आत्मज नाहरसिंह राजपूत
 3. लादुलाल आत्मज हरलाल जाट
 4. गिरधारी आत्मज रतु भील
 5. रामी पुत्री किशना सुथार
 6. अमरचन्द आत्मज गोकल जाट
 7. लालु आत्मज गुल्ला भील
 8. भैरुलाल आत्मज हरलाल जाट
 9. लादुलाल आत्मज हरलाल जाट
 10. रेवतसिंह आत्मज किशनसिंह राजपूत
 11. मांगी पुत्री खेमा चमार
 12. सुन्दरी पुत्री अम्बालाल जाट
 13. रामचन्द्र आत्मज लेहरुलाल जाट
- सर्व निवासी खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
14. माधु आत्मज भुरा चमार निवासी काबरिया खेड़ा, खजूरिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

उपस्थिति— अधिवक्ता प्रार्थीगणः— श्री एम0एस0चुण्डावत
अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01, 02ः— श्री जगदीश चन्द्र व्यास
:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय

दिनांकः—29.03.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम खजूरिया पटवार हल्का गोवलिया तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1 रकबा 0.50 हे0, 144 रकबा 0.57 हे0, 148 रकबा 0.19 हे0, 149 रकबा 0.30 हे0, 4 रकबा 0.29 हे0, 46 रकबा 0.34 हे0, 5 रकबा 0.20 हे0, 6 रकबा 0.26 हे0, 7 रकबा 0.28 हे0 कुल कित्ता 09 कुल रकबा 2.93 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 6 पर दर्ज होकर स्थित हैं।

(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

1.

इसी प्रकार ग्राम खजुरिया पटवार हल्का गोवलिया तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 146 रकबा 0.56 हे०, 150 रकबा 0.29 हे०, 151 रकबा 0.20 हे०, 3 रकबा 0.64 हे०, 44/1 रकबा 0.03 हे०, 44/2 रकबा 0.20 हे०, 49 रकबा 0.25 हे०, 8 रकबा 0.31 हे०, 9 रकबा 0.49 हे० कुल किता 09 कुल रकबा 2.97 हे० भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 7 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिनकी जनाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता को जवाब हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। विपक्षी संख्या 03 लगायत 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अतः प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल०आर०एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है कर ग्राम खजुरिया पटवार हल्का गोवलिया तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1 रकबा 0.50 हे०, 144 रकबा 0.57 हे०, 148 रकबा 0.19 हे०, 149 रकबा 0.30 हे०, 4 रकबा 0.29 हे०, 46 रकबा 0.34 हे०, 5 रकबा 0.20 हे०, 6 रकबा 0.26 हे०, 7 रकबा 0.28 हे० कुल किता 09 कुल रकबा 2.93 हे० भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 6 पर दर्ज होकर स्थित हैं।

इसी प्रकार ग्राम खजुरिया पटवार हल्का गोवलिया तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 146 रकबा 0.56 हे०, 150 रकबा 0.29 हे०, 151 रकबा 0.20 हे०, 3 रकबा 0.64 हे०, 44/1 रकबा 0.03 हे०, 44/2 रकबा 0.20 हे०, 49 रकबा 0.25 हे०, 8 रकबा 0.31 हे०, 9 रकबा 0.49 हे० कुल किता 09 कुल रकबा 2.97 हे० भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 7 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढ़ी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।

प्रार्थीगण वतौर पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 1500/- (एक हजार पांच सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढ़ी की कमिशनर फीस राशि 1500/- (एक हजार पांच सौ रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनाथ तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उपखजेंद्र कुमार शर्मा)
गंगापुर जिला अधिवक्ता (पञ्च)
गंगापुर (भीलवाड़ा) 2.